डीजी-परिपत्र संख्या-16 /2024

**प्रशान्त कुमार,**
आई0पी0एस0

**पुलिस महानिदेशक,**
**उत्तर प्रदेश**
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 02 ,2024

विषय-मानसिक रूप से अस्वस्थ, परेशान व अन्य अयोग्य पुलिस कर्मियों को शस्त्र के साथ किसी महत्वपूर्ण डियूटी में न लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

---

प्रिय महोदया/महोदय,

आप सभी को अवगत कराना है कि विगत में कुछ दृष्टांत प्रकाश में आये हैं, जहॉ महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर लगायी गयी सुरक्षा गार्द/स्कोर्ट में नियुक्त कर्मियों के अनुशासनहीन/असन्तुलित व्यवहार के कारण अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई हैं।

2. आप सहमत होगें कि गार्द/स्कोर्ट डियूटी को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र गार्द की डियूटी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेवनशील होती है तथा इस दिशा में कोई भी लापरवाही घातक हो सकती है। महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर लगायी गयी सुरक्षा डियूटी में लगे कर्मियों से जब भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो ऐसी घटनाएँ न केवल पुलिस प्रशासन की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि रक्षक के भक्षक हो जाने से जनता में असुरक्षा की भावना जागृत होती है। यह स्थिति कदापि अच्छी नहीं है। यदि इस दिशा में प्रभावी निरोधात्मक एवं दोषी कर्मियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो भविष्य में स्थिति और गम्भीर होगी।

3. उपरोक्त वर्णित परिस्थतियों के प्रभावी रोकथाम हेतु अनुपालनार्थ निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

- मानसिक रूप से परेशान किसी भी पुलिस कर्मी को अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शस्त्र सहित डियूटी न लगायी जाये तथा बन्दियों के साथ भी डियूटी लगाये जाने पर सतर्कता बरती जाये।
- गार्दो/स्कोर्ट डियूटी में पुलिस कर्मियों के लगाये जाने से पूर्व जनपद प्रतिसार निरीक्षक द्वारा गार्द/स्कोर्ट कर्मियों की संख्या, उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति, उनकी व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्या आदि को दृष्टिगत रखते हुए डियूटी का व्यवस्थापन किया जाये।
- गार्दो/स्कोर्ट में पुलिस कर्मियों की डियूटी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि वह नशे का आदि न हो, ऐसे कर्मी की डियूटी कदापि न लगायी जाये।

- कोई कर्मी अस्वस्थ या अन्य किसी कारण से परेशान/क्षुब्ध पाये जाये तो उसे गार्द/स्कोर्ट डियूटी से हटाकर उसकी समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाये।
- गार्द/स्कोर्ट डियूटी में लगाये जाने वाले पुलिस कर्मियों की डियूटी में रवाना करने से पूर्व आवश्यक चेकिंग के उपरान्त डियूटी के नियमों के सम्बन्ध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा विस्तार से ब्रीफ किया जाये।
- गार्दो/स्कोर्ट में यदि अस्वस्थ/नशे के आदि पुलिस कर्मियों की डियूटी लगाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस लाइन व प्रतिसार निरीक्षक की होगी।

4. मैं चाहूँगा कि उपरोक्तांकित बिन्दुओं से अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तार से अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

2.4.22.

( प्रशान्त कुमार )

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।